

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 में डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि धनराशि रु. 404.00 लाख अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- शा/35/2019-आर.जी.एस.ए./01/2019 दिनांक 21.06.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1 - 170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजनान्तर्गत रु. 404.00 लाख की बजट व्यवस्था निम्नवत मदों में की गयी है:-

क्र०सं०	मद संख्या एवं मद का नाम	धनराशि लाख रु. में
1	08-कार्यालय व्यय	60.00
2	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00
3	42-अन्य व्यय	185.00
4	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	35.00
5	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	24.00
कुल योग		404.00

उक्त प्रावधानित धनराशि रु. 404.00 लाख (रु. चार करोड़ चार लाख मात्र) के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि रु. 404.00 लाख (रु. चार करोड़ चार लाख मात्र) को उक्त मदों में व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1- 170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि

A

का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक- 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-18-डा. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के नामे डाला जायेगा।

(6) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/आर.जी.-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) स्वीकृत की जारी धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में जमा नहीं किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि का व्यय डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना (नई योजना) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश (गाइड लाइन) के शासनादेश संख्या-81/2016/2689/33-3-2016-100(33)/2015 दिनांक 20.10.2016 के अनुसार किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/ बी-1 - 170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जोबेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

- 3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- एन0आई0सी0 की प्रति।
- 6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।